जीतेश वगै0 बनाम जगदीश वगै (प्रा.पत्र)
मु.नं. 84/2023

11.12.2024

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बलीन तहसील महवा जिला दौसा की आराजी खाता संख्या 2 खसरा नं. 235, 236, 238 कुल किता 3 कुल रकबा 0.48 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 3 के खसरा नं. 237 कुल किता 1 कुल रकबा 0.50 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 37 के खसरा नं. 183, 183/738, 188, 191/741, 192 लगायत 196, 199, 229, 232, 234 कुल किता 13 कुल रकबा 4.59 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी के बाबा रामस्वरूप की मृत्यु दिनांक 08.05.2012 को हो जाने के उपरान्त उक्त वर्णित आराजी खाता संख्या 37 में विरासत का नामान्तकरण प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के नाम राजस्व विभाग ने नामान्तकरण संख्या 471 दिनांक 03.03.2017 को खोल दिया जिसके उपरान्त प्रार्थीगण का उक्त विवादित आराजी में हिस्सेनुसार संयुक्त खातेदारी अप्रार्थीगण के साथ हो गई थी जिसके बाद प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्सेनुसार पैत्रक आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। आराजी का विधिवत बंटवारा नही हुआ है केवल बाहमी रूप से बंटवारा कर रखा है। प्रार्थीगण सगे भाई बहिन है जो पढे लिखे एवं कानून में विश्वास करते है। दिनांक 21.08.2023 का वाक्या है कि प्रार्थी संख्या 1 व उसकी पत्नि अपने हिस्से की भूमि देखने व सार संभाल करने गये तो अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 5 ने ऐलानिया धमकी देकर कहा कि हमने तुम्हारे बाप को पढाया लिखाया, तुम्हारे पास खूब पैसा है तुम्हे जमीन की क्या जरूरत है। बिना पिटे चले जाओ तुमसे बने जो करलो। अप्रार्थीगण लट्ठ के बल पर लट्ठ के बल पर आराजी हडपना चाहते है। यदि अप्रार्थीगण अपनी कुचेष्ठा एवं मंसूबो में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति करना संभव नही है। इसलिये अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना कानूनन आवश्यक हुआ है। अतः अप्रार्थीगया को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 की ओर से श्री गिरधर सिंह अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 06 व 07 बावजूद तामिल के उपस्थित नही आये इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा जबाव पेश किया गया। जबाव में अंकित किया कि उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा नही रहा है। सभी जमीन पर प्रतिवादीगण ही काश्त करते आ रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील उभय पक्ष की वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत् 2074–2077 का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी पर कब्जा कर सकता है जिससे प्रार्थीगण को अपूरनीय क्षति होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वादपत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम बलीन तहसील महवा जिला दौसा की आराजी खाता संख्या 2 खसरा नं. 235, 236, 238 कुल किता 3 कुल रकबा 0.48 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 3 के खसरा नं. 237 कुल किता 1 कुल रकबा 0.50 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 37 के खसरा नं. 183, 183/738, 188, 191/741, 192 लगायत 196, 199, 229, 232, 234 कुल किता 13 कुल रकबा 4.59 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के हिस्सा तक मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा